संख्या:54/2021/1363565/12-2099/86/2021-एफ.58/2008

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक 09 सितम्बर, 2021

विषय: प्रदेश में समस्त उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरकों का स्टाक एवं बफर गोदाम/बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध भौतिक स्टाक का शतप्रतिशत सत्यापन कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या: 22/2020/1363565/12-2099/86/2021 दिनांक 25 मई, 2021 द्वारा रीयल टाइम एक्नॉलेजमेंट एवं शतप्रतिशत पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से उर्वरकों की बिक्री किए जाने सम्बन्धी आदेश का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. प्रश्नगत सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनॉक 25 मई, 2021 का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने तथा उर्वरक विक्रेताओं द्वारा पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से की गई उर्वरकों की बिक्री को सत्यापित करने हेतु सतत अनुश्रवण एवं प्रवर्तन आवश्यक है। उक्त प्रक्रिया का विचलन कर बिक्री करने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही आवश्यक है।

3. प्रदेश के समस्त उर्वरक बफर गोदामों, थोक उर्वरक विक्रेताओं के गोदामों एवं फुटकर उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध भौतिक स्टाक का सत्यापन आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरकों के सम्भार के आधार पर दिनांक 15 सितम्बर, 2021 से दिनांक 25 सितम्बर, 2021 के मध्य कराने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें:-

(i) उर्वरकों के स्टाक का भौतिक सत्यापन urvark.nic.in के आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर सत्यापन की तिथि को वेयर हाउस/थोक विक्रेता/फुटकर उर्वरक बिक्री केन्द्रवार प्रदर्शित होने वाले स्टाक की मात्रा के सापेक्ष ही अनिवार्य रूप से किया जाये।

(ii) जिला कृषि अधिकारी आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल से बफर/थोक गोदाम एवं फुटकर बिक्री केन्द्रवार उपलब्ध उर्वरकों के सम्भार की सूची का प्रिन्ट-आउट सत्यापन की तिथि को सत्यापनकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए।

(iii) कम्पनी वेयर हाउस गोदामों एवं थोक उर्वरक विक्रेताओं के गोदामों का शतप्रतिशत सत्यापन करने हेतु जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गठित की जाये। टीम के द्वारा आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर प्रदर्शित स्टाक के सापेक्ष शतप्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(iv) फुटकर उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध उर्वरक स्टाक का आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल/पी0ओ0एस0 मशीन में प्रदर्शित स्टाक के अनुसार शतप्रतिशत सत्यापन कराने हेतु कृषि, सहकारिता एवं अन्य विभागों के क्षेत्रीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाये।

(v) यदि किसी बफर/थोक गोदाम एवं बिक्री केन्द्र पर आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल में प्रदर्शित सम्भार तथा बिक्री केन्द्र पर उपलब्ध भौतिक सम्भार में भिन्नता या किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो तदनुसार सक्षम प्राधिकारी के स्तर से सम्बन्धित उर्वरक विक्रेता के विरूद्ध जॉचोपरान्त उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तुअधिनियम, 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

4. आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरक सम्भार के आधार पर उपरोक्तानुसार भौतिक सत्यापन दिनांक 15 सितम्बर, 2021 से दिनांक 25 सितम्बर, 2021 की अवधि में कराते हुए बफर गोदामों/थोक उर्वरक विक्रेताओं से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक प्रारूप-ए (भाग-1 एवं भाग-2) तथा फुटकर विक्रेताओं की सत्यापन से सम्बन्धित सूचना प्रारूप-बी (भाग-1 एवं भाग-2) पर कृषि निदेशक को दिनॉक 27 सितम्बर, 2021 तक अवश्य उपलब्ध करायी जाये।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:54/2021/1363565/12-2099/86/2021-एफ.58/2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
2. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
3. संयुक्त कृषि निदेशक, उर्वरक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
4. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश/समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश/ समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को कड़ाई से अनुपालनार्थ,
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रारूप- ए

भाग-1

बफर गोदाम/थोक उर्वरक गोदामों में आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरक सम्भार एवं बफर गोदाम पर उपलब्ध भौतिक सम्भार की सत्यापन रिपोर्ट

सत्यापनकर्ता का नाम:

पदनाम:

जनपद का नाम:

विभाग का नाम:

क्र0 सं0	सत्यापन की तिथि	बफर गोदाम/थोक उर्वरक बिक्री केन्द्र का नाम एवं पता	उर्वरक विक्रेता की एम0एफ0एम0एस0 आई0 डी0 संख्या	आई0एफ0एम0एए0 पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरक सम्भार (मात्रा मी0टन में)				
				यूरिया	डीएपी	एनपीके	एमओपी	एसएसपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

बफर/थोक उर्वरक बिक्री केन्द्रो पर भौतिक रूप में उपलब्ध सम्भार (मात्रा मी0टन में)					अन्तर की मात्रा (मी0टन में)					अभयुक्ति
यूरिया	डीएपी	एनपीके	एमओपी	एसएसपी	यूरिया	डीएपी	एनपीके	एमओपी	एसएसपी	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

हस्ताक्षर

मुहर सहित

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रारूप-ए

भाग-2

बफर/थोक उर्वरक बिक्री केन्द्रों की आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरक सम्भार एवं बफर/थोक केन्द्रों पर उपलब्ध भौतिक सम्भार की सत्यापन रिपोर्ट की संकलित सूचना का प्रारूप

क्र0 सं0	जनपद में बफर/थोक बिक्री की संख्या	जनपद में कुल सत्यापित उर्वरक बिक्री केन्द्रों की संख्या	जनपद में आई0एफ0एम0एए0 पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरक सम्भार (मात्रा मी0टन में)				
			यूरिया	डीएपी	एनपीके	एमओपी	एसएसपी
1	2	3	4	5	6	7	8

जनपद में उर्वरक बिक्री केन्द्रो पर भौतिक रूप में उपलब्ध सम्भार (मात्रा मी0टन में)					अन्तर की मात्रा (मी0टन में)					अभ्युक्ति
यूरिया	डीएपी	एनपीके	एमओपी	एसएसपी	यूरिया	डीएपी	एनपीके	एमओपी	एसएसपी	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

हस्ताक्षर

मुहर सहित

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रारूप-बी

भाग-1

फुटकर उर्वरक विक्रेताओं की आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरक सम्भार एवं बफर गोदाम पर उपलब्ध भौतिक सम्भार की सत्यापन रिपोर्ट

सत्यापन कर्ता का नाम:-

पदनाम:-

जनपद का नाम:-

विभाग का नाम:-

क्र0 सं0	सत्यापन की तिथि	फुटकर उर्वरक बिक्री केन्द्र का नाम एवं पता	उर्वरक विक्रेता की एम0एफ0एम0एस0 आई0 डी0 संख्या	आई0एफ0एम0एए0 पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरक सम्भार (मात्रा मी0टन में)				
				यूरिया	डीएपी	एनपीके	एमओपी	एसएसपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

बफर/थोक उर्वरक बिक्री केन्द्रो पर भौतिक रूप में उपलब्ध सम्भार (मात्रा मी0टन में)					अन्तर की मात्रा (मी0टन में)					अभ्युक्ति
यूरिया	डीएपी	एनपीके	एमओपी	एसएसपी	यूरिया	डीएपी	एनपीके	एमओपी	एसएसपी	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

हस्ताक्षर

मुहर सहित

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रारूप-बी

भाग-2

बफर/थोक उर्वरक विक्रेताओं की आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरक सम्भार एवं बफर/थोक केन्द्रों पर उपलब्ध भौतिक सम्भार की सत्यापन रिपोर्ट की संकलित सूचना का प्रारूप

क्र0 सं0	बफर/थोक बिक्री केन्द्रों की संख्या	जनपद में कुल सत्यापित बफर गोदामों की संख्या	जनपद में आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरक सम्भार (मात्रा मी0टन में)				
			यूरिया	डीएपी	एनपीके	एमओपी	एसएसपी
1	2	3	4	5	6	7	8

जनपद में उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर भौतिक रूप में उपलब्ध सम्भार (मात्रा मी0टन में)					अन्तर की मात्रा (मी0टन में)					अभ्युक्ति
यूरिया	डीएपी	एनपीके	एमओपी	एसएसपी	यूरिया	डीएपी	एनपीके	एमओपी	एसएसपी	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

हस्ताक्षर

मुहर सहित

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।